समाहरणालय, मुजफ्फरपुर।
(जिला खनन प्रशाखा)

dmo.mines.muz@gmail.com

पत्रांक : ......1269....... /एम0, मुज0, दिनांक 06/11/2024

प्रेषित,

मे0 विश्वनाथ त्रिपाठी (उच्च डाकवक्ता)
पिता श्री जलेश्वर त्रिपाठी
साकिन–बैरिया, पुलिस लेन,
सरस्वती नगर, मुजफ्फरपुर।

विषय– मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बुढ़ी गंडक नदी के बालूघाट/इकाई –Unit-05(घोसौत घाट–018+घोसौत घाट 02) की आगामी पाँच वर्षो के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक–29.10.2024को सम्पन्न ई–नीलामी मे उच्चतम्/सफल डाकवक्ता घोषित होने के फलस्वरूप सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश के संबंध में।

उपर्युक्त विषयकमुजफ्फरपुर जिलान्तर्गतबुढ़ी गंडक नदी केबालूघाट/इकाई संख्या–Unit-05 में कुल रकबा–10.79 हेक्टेयर की आगामी पाँच वर्षो के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक–29.10.2024 को सम्पन्न ई–नीलामी मे आपके द्वारा मो0–48,55,500/- (अड़तालीस लाख पचपन हजार पाँच सौ रूपये) की सुरक्षित जमा राशि के विरूद्ध उच्चतम डाक की राशि मो0–77,68,800/- (सत्तहत्तर लाख अरसठ हजार आठ सौ रूपये) की बोली लगाये जाने के फलस्वरूप उच्चतम डाकवक्ता घोषित हुए हैं। निविदा दस्तावेज की कंडिका–20 (i) के आलोक मे आपके द्वारा नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि (जमा अग्रधन राशि समायोजनोपरान्त) प्रतिभूति जमा राशि के रूप में मो0–7,28,325/–(सात लाख अठाईस हजार तीन सौ पच्चीस रूपये) के भुगतान का साक्ष्य जिला खनन कार्यालय, मुजफ्फरपुर मे प्रस्तुत किया गया है।

निविदा दस्तावेज की कंडिका 20 (i), (ii) एवं (xiii) के आलोक में मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बुढ़ी गंडक नदी के बालूघाट/इकाई संख्या–Unit-05 (घोसौत घाट–018+घोसौत घाट 02) का सैद्धांतिक स्वीकृति के शर्त्त एवं बंधेज निम्नवत है:–

1. बालूघाट/इकाईसंख्या–Unit-05से संबंधित विवरणी निम्नवत है:–

क्र0 सं0	बालूघाट/इकाई	बालूघाट का नाम एवं Block संख्या	चिन्हित बालूघाटों का पूरा पता	नदी का नाम	बालूघाट का रकबा (in Hect)	Geo- co-ordinates			कुल रकबा (in Hect)
1	2	3	6	5	4	7			8
1	5	घोसौत घाट–018 + घोसौत घाट 02	घोसौत घाट–018+घोसौत घाट 02,साकिन–घोसौत अंचल–मीनापुर	बुढ़ी गंडक		घोसौत घाट–018			10.79
					7.0	A	26°16'05.58"N	85°15'48.23"E	
						B	26°16'3.51"N,	85°15'51.96"E	
						C	26°15'52.99"N,	85°15'47.78"E	
						D	26°15'50.24"N	85°15'48.93"E	
						घोसौत घाट 02			
					3.79	A	26°16'42.19"N	85°16'56.25"E	
						B	26°16'40.70"N,	85°16'57.10"E	
						C	26°16'43.42"N,	85°17'1.28"E	
						D	26°16'43.88"N	85°17'11.16"E	
						E	26°16'46.51"N	85°17'11.08"E	
						F	26°16'47.40"N	85°17'5.99"E	
						G	26°16'45.46"N	85°17'0.72"E	
2	वन क्षेत्र से दूरी					लागू नहीं।			

SANJAY MANWANI
ICI- Market Qualified Person

M/s Vishwa Nath Tripathi
Proprietor

3	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य क्षेत्र/पक्षी अभ्यारण्य/वन्य जीव आश्रयण क्षेत्र से दूरी	लागू नहीं।
4	बालूघाट/बालूखण्ड से 500 मीटर के अन्दर खनन पट्टा क्षेत्र की स्थिति	नहीं (रकबा 0.00 हे0)।
5	पुरातात्विक स्थल से दूरी	लागू नहीं।
6	खनन योग्य मात्रा	64740 घनमीटर

2. भुगतान की शर्तें:–

(i) नीलामी–राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके बाद की बंदोबस्ती की राशि गत् वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत् के बराबर होगी।

(ii) प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त बंदोबस्तधारी निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त (50%)	(क) पट्टा संविदा निष्पादन से पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) प्रथम वर्ष में पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से एवा वर्ष पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त (25%)	03 महीना पूरा होने से पहले।
तृतीय किस्त (25%)	06 महीना पूरा होने से पहले।

के अनुसार बन्दोबस्ती की राशि का भुगतान करेगा।

प्रत्येक समानुदान वर्ष में बंदोबस्तधारी द्वारा पहली किस्त के भुगतान के समय दूसरी और तीसरी किस्तो की राशि के लिए पोस्टडेटेड चेक संबधित समाहर्त्ता के समक्ष जमा की जायेगी। यदि किस्तों के भुगतान करने में बंदोबस्तधारी असफल होता है तो आगे ई–चालान सिस्टम द्वारा बंद कर दिया जाएगा और केवल अग्रिम भुगतान कर दिये जाने के बाद ही खोला जाएगा एवं इसके लिए किसी तरह के क्षतिपूर्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

3. GST का भुगतान :–बंदोबस्तधारी को जी0एस0टी0 के रूप में प्रचलित दर के अनुसार राशि वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करना होगा। जिला खनन् कार्यालय, मुजफ्फरपुर में जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।

4. आयकर/अन्य करों का भुगतान–बंदोबस्तधारी को आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्त करना होगा। यह राशि बंदोबस्ती राशि के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन् कार्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।

5. जिला खनिज फाउन्डेशन–सफल डाकवक्ता को बंदोबस्ती राशि की 2 प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउन्डेशन को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिला खनन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को जिला खनिज फाउन्डेशन नियमावली, 2018 के अनुसार जमा करना होगा।

M/s Vishwa Nath Tripathi
Proprietor

SANJAY MANWANI
QCI- NABET Qualified Person

6. **वैधानिक अनापत्ति**–बालूघाट संचालन हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनापत्ति/अनुमति (जैसे -खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, जल एवं वायु सहमति आदि सफल डाकवक्ता द्वारा प्राप्त की जाएगी। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही बालू खनन प्रारंभ किया जा सकेगा। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति के बिना अथवा वैधानिक अनापत्ति/अनुमति में अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा या निर्धारित क्षेत्र से बाहर खनन किए जाने की दशा में सुसंगत नियमों के अनुसार संबंधित सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी पर कार्रवाई की जाएगी। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति निम्नानुसार है–

(i) **खनन योजना**:–खनन योजना प्रभावी नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा QCI/NABETसे मान्यता प्राप्त Professional RQPसे तैयार कर निदेशक, खान या विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश (LOI)निर्गत करने के अधिकतम 15 दिनों के अन्दर सफल बन्दोबस्तधारी द्वारा विभाग में अनुमोदन हेतु समर्पित किया जायेगा। खनन योजना बनाने पर होने वाले व्यय का वहन सम्बन्धित सफल डाकवक्ता /बन्दोबस्तधारी द्वारा किया जायेगा।

(ii) **पर्यावरणीय स्वीकृति**:–सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर समयबद्ध रीति से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति (EC)एवं अन्य वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करना सफल डाकवक्ता की जिम्मेवारी होगी। अपेक्षित पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी के लिए सफल डाकवक्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(a) सफल डाकवक्ता द्वारा खनन योजना अनुमोदन के अधिकतम 15 दिनों के अन्दर (ToR) स्वीकृति के लिए प्रस्ताव /आवेदनSEIAAके परिवेश पोर्टल पर समर्पित किया जायेगा।

(b) उच्चतम डाकवक्ता/बन्दोबस्तधारी द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश (LoI) प्राप्त होने के उपरांत सम्बन्धित बालूघाटों के लिए निकटतम मोनेटरिंग अवधि (Base Line Data CollectionPeriod) समाप्ति से अधिकतम 7 दिनों के अन्दर ड्राफ्ट EIAएवं लोक सुनवाई के लिए निर्धारित शुल्क बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के समक्ष जमा करेगा।

(c) उच्चतम डाकवक्ता/बन्दोबस्तधारी सम्बन्धित बालूघाट के लिए संपन्न लोक सुनवाई की तिथि से अधिकतम 7 दिनों के अन्दर Final EIA Report, SEIAA, Biharके समक्ष जमा करेगा।

(iii). **जल एवं वायु सहमति**–पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात सफल डाकवक्ता निर्धारित समय सीमा के अन्दर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सक्षम पदाधिकारी के समक्ष सहमति/Consentto Establish/ Consent to Operate प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(iv). **खनन के लिए अनुमत मात्रा**–खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्राप्त सहमति में वर्णित बालू की मात्रा (इनमें से जो भी कम हो) तक ही खनन अनुमान्य होगा। यदि

M/s Vishwa Nath Tripathi

Proprietor

SA... MANWANI

Qualified Person

अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु सहमति में खनन योग्य मात्रा कम किये जाने पर भी वार्षिक देय बंदोबस्ती राशि किसी स्थिति में कम नहीं की जाएगी।

(v). बिना किसी वैध कारण के पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish/ Consent to Operate / जल एवं वायु सहमति प्राप्त नहीं कर पाते है या प्राप्त करने में रूचि नहीं लेते है तो, समाहर्त्ता द्वारा अग्रधन राशि जप्त कर पुनः निलामी की कार्रवाई की जाएगी।

(vi). सभी राशि एवं एकरारनामा के साथ वैधानिक स्वीकृति समर्पित करने के अधिकतम 03 (तीन) दिनों के अन्दर जिला समाहर्त्ता द्वारा एकरारनामा का निष्पादन किया जाएगा एवं खनन कार्य की अनुमति प्रदान की जाएगी।

7. बंदोबस्ती विलेख/पट्टा संविदा (डीड) निष्पादन करना:-

(i). सफल डाकवक्ता द्वारा सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त 5 वर्षों की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु समानुदान/बन्दोबस्ती स्वीकृत किया जाएगा।सफल डाकवक्ता विहित प्रपत्र में संबधित नियमानुसार बंदोबस्ती विलेख अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र, कार्य आरंभ करने के पहले, निष्पादित करेगा तथा यथा विहित अपेक्षित प्रतिभूति राशि जमा देगा। बंदोबस्तधारी के पट्टे की अवधि विलेख/संविदा निष्पादन की तिथि से पाँच वर्षों के लिए विधिमान्य होगा।

(ii). बन्दोबस्तधारी को निष्पादित संविदा का निबंधन सम्बन्धित विभाग के प्रचलित नियमों के अधीन 15 दिनों के अन्दर कराना अनिवार्य होगा।

8. बालू खनन की अनुमति-बंदोबस्तधारी को सभी अपेक्षित वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने, अपेक्षित किस्त का भुगतान करने एवं पट्टा संविदा निष्पादन के बाद बालू खनन की अनुमति दी जाएगी।सफल डाकवक्ता द्वारा सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त 5 वर्षों की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु समानुदान/बन्दोबस्ती स्वीकृत किया जाएगा। सफल डाकवक्ता विहित प्रपत्र में संबधित नियमानुसार बंदोबस्ती विलेख अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र, कार्य आरंभ करने के पहले, निष्पादित करेगा तथा यथा विहित अपेक्षित राशि संबधित विभाग में जमा कर देगा। बंदोबस्तधारी के पट्टे की अवधि विलेख/संविदा निष्पादन की तिथि से पाँच वर्षों के लिए विधिमान्य होगा।

9. बंदोबस्ती/समानुदान का प्रत्यार्पण-

1. सफल डाकवक्ता/बन्दोबस्तधारी द्वारा बन्दोबस्ती प्रत्यर्पण/कारोबार छोड़ने का विकल्प बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-50 के अनुरूप किया जा सकेगा।

2. बंदोबस्तधारी को बंदोबस्ती छोड़ने के पूर्व उस पंचांग वर्ष की सम्पूर्ण बंदोबस्ती राशि जमा करनी होगी। बंदोबस्ती प्रत्यर्पित करने की स्थिति में जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि के साथ-साथ भुगतान की गई अन्य राशि को जप्त कर ली जायेगी। साथ ही बंदोबस्तधारी के रूप में निर्गत भंडारण अनुज्ञप्ति भी स्वतः रद्द समझि जायेगी।

10. पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment study):- बंदोबस्तधारी द्वारा मॉनसून के पहले और बाद नदी तल में बालू की मात्रा का पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment study) अद्यतन तकनीक का उपयोग करते

M/s Vishwa Nath Tripathi
Proprietor

SANJAY MANWANI
QCI NABET Qualified Person

(xii) खनिज की अनुपलब्धता, मार्ग व्यवधान, सीमा विवाद इत्यादि से संबंधित कोई व्यवधान अथवा अन्यान्य कारण से उत्तोलन में बाधा उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

(xiii) बंदोबस्तधारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /SEIAA द्वारा मॉनसून अवधि में नदी तल से खनन के लिए अधिरोपित रोक, खनिज संसाधनों की अनुपलब्धता, पहुँच पथ में किसी बाधा, सीमा विवाद अथवा उसके किसी अन्य कारण के चलते उत्पन्न किसी समस्या के कारण बालू के उत्पादन/प्रेषण में उत्पन्न अवरोध की दशा में किसी प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(xiv) बंदोबस्तधारी वाहनों में सूखा बालू लादने की व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि बालू ढोने वाले वाहनों से सड़क पर पानी नहीं टपके। इसके लिए बंदोबस्तधारी नदी के किनारे से 300 मीटर की दूरी के भीतर बालू लादने के लिए सैकेण्डरी लोडिंग की व्यवस्था करेगा जिसके लिए अपेक्षित बालू जमा करने हेतु किसी लाईसेन्स की आवश्यकता नहीं होगी।

(xv) बंदोबस्तधारी बंदोबस्त क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए जिम्मेवार होंगे और पाई गई किसी शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा बंदोबस्तधारी के विरुद्ध अपराधिक मामला दायर किया जाएगा।

(xvi) समाहर्त्ता द्वाराबन्दोबस्तधारी को बालूघाटो के संचालन के संबंध में लोकहित में जारी निर्बन्धों और शर्तों तथा निदेशों का पालन करेगा।

(xvii) उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर कारण पृच्छा निर्गत कर बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी ।

(xviii) बंदोबस्तधारी को खनन राजस्व/जी०एस०टी०/आयकर/स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नहीं करने की दशा में 30 दिनों के अंदर कारण स्पष्ट करने हेतु नोटिस दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अंदर बंदोबस्तधारी द्वारा बकाए का भुगतान करने में असफल रहने की दशा में राशि वसूली की कार्रवाई के साथ-साथ बंदोबस्ती रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी।

(xix) निविदादाता निविदा में भाग लेने के पूर्व अक्षांश-देशांतर के आधार पर तैयार किये गए नदी में बालूघाट क्षेत्रों में बालू की उपलब्धता, बालू निकासी हेतु परिवहन मार्गों, जल संसाधन विभाग के नदी में प्रतिबंधित क्षेत्रों तथा अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों के आलोक में अपने स्तर से तकनीकी जाँच कराकर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लेंगे। नीलामी के पश्चात किसी प्रकार का कोई आपत्ति/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(xx) नीलामी हेतु प्रस्तावित बालूघाटो से संबंधित तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं यथा भूमि के अंचल, थाना, मौजा, खाता, खेसरा, रकबा तथा GPS Co-ordinate के संबंध में विवाद/त्रुटि पाए जाने पर संशोधन का अधिकार संबंधित जिला खनन कार्यालय का होगा। बालूघाटो का सीमांकन एवं नियमानुसार निर्धारित आयाम/विशिष्टियों का सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन GPS Co-ordinate के अनुसार बालू बंदोबस्तधारी को कराना होगा तथा खनन के क्रम में संधारित कराना बंदोबस्तधारी की जवाबदेही होगी, जिसे RQP/अंचलाधिकारी की उपस्थिति में प्रमाणित कराकर खनन कार्य कराना होगा। बालूघाटो के निर्धारित क्षेत्र का Reduced Level (RL)/Pre-Level (PL),Satelite images मानसून के पूर्व एवं बाद का समर्पित करना होगा।

(xxi) खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों पर चारों तरफ लाल (Signal Red)रंग से तीस ईंच चौड़ी पट्टी पेंट की जायेगी। उक्त पट्टी पर सफेद रंग से 06 (छः) ईंच फॉन्ट साईज के शब्दों में खनन वाहन- निबंधन संख्या (खनन सौंपट) में निबंधन संख्या) एवं वाहन का निबंधन संख्या अंकित किया जाना अनिवार्य है, कोई भी वाहन मालिक /परिवहन कर्त्ता G.P.S.एवं उपरोक्त वर्णित विशिष्ट रंग की पट्टी के बिना परिवहन नहीं करेंगे।

(xxii) बालू बन्दोबस्तधारी की यह बाध्यता होगी की वह विशिष्ट रंग से खनन वाहन-निबंधन संख्या अंकित किये गये एवं G.P.S.अधिष्ठापित वाहनों को ही परिवहन चालान निर्गत करेंगे।

(xxiii) बालू का विक्रय निबंधित एवं व्यवसायिक वाहन के माध्यम से ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति मेंअनिबंधित एवं बिना वाहन संख्या के (unrealistic vehicle) वाहन से बालू का विक्रय नहीं किया जायेगा। ट्रैक्टर इंजन एवं ट्रॉली दोनों का परिवहन विभाग में निबंधित होने के उपरान्त ही बालू का प्रेषण किया जाएगा। उल्लंघन किये जाने की स्थिति में जब्त अग्रधन एवं अन्य राशि जप्त कर ली जायेगी।

M/s Vishwa Nath Tripathi
Proprietor

SANJAY MANWANI
QCI-NABET Qualified Person

हुए भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों/एजेंसियों के माध्यम से कराया जाएगा और इसका एक प्रतिवेदन विभागीय पोर्टल पर एवं समाहर्ता को समर्पित करना होगा। विभाग/समाहर्ता द्वारा पुनःरण अध्ययन क्रियान्वित किए जाने की दशा में, अध्ययन का खर्च संबंधित बंदोबस्तधारी से वसूल किया जाएगा।

11. <u>शास्ति:-</u> किसी नियम, शर्तों एवं कोड के उल्लंघन के लिए बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन,परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित), बिहार बालू खनन नीति2019 (यथा संशोधित) एवं अन्य प्रभावी नियमावली/अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

12. <u>सामान्य शर्तें</u>:-

(i) निविदादाता/सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी को ईलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गयी कोई भी सूचना /निदेश /आदेश इत्यादि के तहत स्वीकार साक्ष्य के रूप में माना जायेगा।

(ii) बंदोबस्तधारी को बालू के परिवहन हेतु वाहन के चालक को ऑनलाईन ई–चालान (परिवहन चालान) निर्गत करना होगा। उसकी मूल प्रति (प्रिंट आउट) चालक के पास उपलब्ध रहना चाहिए।

(iii) बन्दोबस्ती लेने के बाद सभी बालूघाटों के लिये बालू के उत्तोलन कार्य में संलग्न सभी सहयोगी व्यक्तियों/प्रबंधकों की सूची, पूर्ण पता एवं फोटो के साथ एक माह के अन्दर समाहर्त्ता को उपलब्ध कराना एवं पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यदिइसमें कोई बदलाव होता है तो उसकी भी सूची अविलम्ब पोर्टल पर अपलोड/उपलब्ध करायेंगे।

(iv) बंदोबस्तधारी नदी तट से 300 मी0 तक बालू का भंडारण कर सकते है जिसके लिए किसी प्रकार के भंडारण अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन भंडारण स्थल का Geo Co-ordinate ,भंडारण मात्रा का विवरण ऑनलाईन पोर्टल पर देना होगा। नदी तट से 05 किलोमीटर (Aerial distance)के बाद बालू भंडारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति/बंदोबस्तधारी को अलग से भंडारण अनुज्ञप्ति लेना होगा।

(v) बालू के उत्पादन एवं प्रेषण के लिये पंजी संधारित करनी होगी। बंदोबस्तधारी विहित प्रपत्र में बालू के उत्पादन तथा प्रेषण से संबंधित दैनिक, साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक रूप से विवरणी (रिटर्न) ऑनलाईन पोर्टल पर समर्पित करेगा।

(vi) बंदोबस्तधारी नदी तट से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईनबोर्ड लगाएगा जिसपर बंदोबस्तधारी का नाम एवं पता, बंदोबस्ती की अवधि, स्थानीय मैनेजर का नाम एवं पता तथा बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा। यदि साईन बोर्ड निरीक्षण में नहीं पाया गया तो शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

(vii) बंदोबस्तधारी श्रम विधियों के प्रावधानों के अनुसार आश्रय गृह, पीने का पानी, शिशु गृह (क्रेचेज) तथा फर्स्ट एड किट की व्यवस्था संबंधित बालूघाटों में लगे श्रमिकों के लिए करेगा।

(viii) बंदोबस्तधारी संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा तथा स्वयं/ अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बालूघाटों का प्रचालन करेगा। किसी रूप में किये गये उपपट्टा (सबलेटिंग) के लिए बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। बालूघाटों/नदी तल तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पहुँच पथ (अप्रोच रोड) का निर्माण बंदोबस्तधारी द्वारा स्वयं अपने खर्च से किया जाएगा।

(ix) बालूघाट की सुरक्षा की जिम्मेदारी बंदोबस्तधारी की होगी।

(x) बंदोबस्तधारी द्वारा सतत् बालू खनन प्रबंधन मार्गदर्शिका, 2016/2020/पर्यावरणीय स्वीकृति प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप मशीन का प्रयोग किया जाएगा। महिला श्रमिकों से सूर्यास्त के बाद कोई कार्य नहीं लिया जायेगा।

(xi) बालू लदे सभी वाहनों को तारपोलिन से ढककर बालू का परिवहन करना अनिवार्य होगा।

M/s Vishwa Nath Tripathi
Proprietor

SANJAY MANWANI
QCI- NABET Qualified Person

(xxiv) बालू बंदोबस्तधारी को बालू लदे भारी वाहनों का परिवहन जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों एवं बांधों पर निर्मित प्रतिबंधित सड़क या परिवहन विभाग द्वारा प्रतिबंधित सड़क/पुल-पुलिया से नहीं करना है।

(xxv) बालूघाट में रैयती/बंदोबस्त जमीन होने पर संबंधित रैयत से सहमति प्राप्त कर बालू का खनन करना होगा। यह जिम्मेदारी पूर्णतः बंदोबस्तधारी की होगी एवं विभाग से कोई क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

(xxvi) बंदोबस्ती समाप्ति के पूर्व नदी तट से 300 मीटर के अन्दर भंडारित बालू को हटा लेना होगा अन्यथा भंडारित खनिज (बालू) सरकार की सम्पत्ति मानकर उसका निष्पादन किया जायेगा।

(xxvii) बंदोबस्तधारी द्वारा भंडारण अनुज्ञप्तिधारियों को भी भुगतान के आधार पर मासिक उत्पादन का 25 प्रतिशत बेचने का निदेश समाहर्ता/विभाग दे सकेगा एवं इसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(xxviii) निकाले गये खनिजों के लिए वार्षिक आधार पर की गई स्वामित्व की संगणना वार्षिक बंदोबस्ती की राशि से अधिक होने पर बंदोबस्तधारी द्वारा निकाली गई अतिरिक्त मात्रा के लिए बंदोबस्ती राशि के अतिरिक्त स्वामित्व का भुगतान करना होगा।

(xxix) बंदोबस्तधारी को प्रत्येक सप्ताह खनन स्थल/घाट का कम से कम 04 फोटोग्राफ्स Geo Co-ordinateके साथ विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

(xxx) बंदोबस्तधारी को सड़क, परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय भारत सरकारके विशिष्टियों के अनुरूप GPSयुक्त वाहन ही प्रयोग करना होगा।सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी परिवहन चालान विभाग में निबंधित वाहनों के लिए ही निर्गत करेंगे, जो GPS युक्त हो एवं जिसकी Tracking हेतु विभागीय पोर्टल पर डाटा शेयर किया जा सके।

(xxxi) घाट पर ऐसी विशिष्टियों का धर्मकांटा का अधिष्ठापन बंदोबस्तधारी द्वारा स्वयं अपने खर्च पर किया जाएगा, जिसका Real time data विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति का दावा खान एवं भूतत्व विभाग के उपर मान्य नहीं होगा।

(xxxii) स्रोत से गंतव्य की दूरी के GPS Dataके अनुसार ई-चालान की वैधता अवधि को विभाग बदल/कम कर सकता है।

(xxxiii) बंदोबस्तधारी को खनन/भंडारण एवं उनके द्वारा प्राप्त अनुज्ञप्ति स्थल का ड्रोन से Volumetric Analysisप्रतिमाह कराकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विभाग/समाहर्ता द्वारा किसी ऐजेन्सी से कराया जाता है, तो उस पर हुए व्यय का भुगतान बंदोबस्तधारी को करना होगा।

(xxxiv) बंदोबस्तधारी के Loginसे निर्गत ई-चालान एवं जमा रिटर्न को माना जायेगा कि बंदोबस्तधारी के किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जाँच कर लिया गया है।

(xxxv) सर्वर मेन्टेनेन्स या विधि व्यवस्था हेतु ई-चालान बन्द किया जा सकता है एवं इस अवधि हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

(xxxvi) बंदोबस्तधारी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र से बाहर न स्वयं खनन करना है और न ही किसी को करने देना है। संबंधित बालूघाट से 100 मीटर की परिधि में यदि अवैध खनन पाया जाता है एवं इसकी सूचना यदि बंदोबस्तधारी द्वारा विभाग/संबंधित जिला खनन कार्यालय को नहीं दी जाती है, तो संबंधित बंदोबस्तधारी की संलिप्तता मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई किया जायेगा।

(xxxvii) Google earth pro/Bhuvan softwareसे की गई Monitoring/प्राप्त साक्ष्य मान्य होंगे। इसके आधार पर बंदोबस्तधारी के विरूद्ध शास्ति अधिरोपण/अन्य कार्रवाई की जाएगी।

(xxxviii) बंदोबस्तधारी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र से बाहर खनन करने, निर्धारित गहराई से ज्यादा खनन करने, पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रावधानों के विरूद्ध खनन करने एवं खनन योग्य मात्रा से **अधिक खनन करने की कृत को अवैध खनन** माना जाएगा एवं बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के नियम- 56 के तहत संबंधित बंदोबस्तधारी के विरूद्ध जुर्माना राशि अधिरोपित की जाएगी। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर जमा अग्रधन की राशि से वसूली की जाएगी।

SANJAY MANWANI

Qualified Person

M/s Vishwa Nath Tripathi

Proprietor

(xxxix) बंदोबस्तधारी द्वारा बालूघाटों से बालू का परिवहन बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं इस संबंध में अन्य अधिसूचित नियम के तहत किया जाएगा। अनियमितता की स्थिति में उपरोक्त नियमावली के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती अवधि के दौरान किसी भी कारण से खनन कार्य नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का मुआवजा/नुकसान एवं क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

(xl) ई-नीलामी एवं बालूघाट की बंदोबस्ती अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के अधीन होगा।

(xli) खान एवं भूतत्व विभाग/समाहर्त्ता आवश्यकता पड़ने पर ड्रोन एवं अन्य अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग करके बालूघाटों का सर्वेक्षण कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बालूघाटों में बालू खनन की पूरी प्रक्रिया प्रचलित नियमों/प्रावधानों के अनुरूप हो रही है।

सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

06/11/24

खनिज विकास पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY, GOVT. OF BIHAR, PATNA

M/s Vishwa Nath Tripathi
Proprietor

SANJAY MANWANI
QCI-NABET Qualified Person